

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर।

अ.मा.व.२५७


क्रमांक :- एफ 2(21) एससीएसपी/सान्याअवि/स्वच्छकार/2015/7824-48

जयपुर, दिनांक 16/6/16

बैठक सूचना

हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 26 (1) के क्रम में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में 30 जून 2016 को अपराह्न 3:00 बजे शासन सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन, कमरा नम्बर 19 में आयोजित की गई है। बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है-

1. हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की पालना की स्थिति।
 2. पाये गये मैनुअल स्कवैन्जर्स का विभिन्न विभागों द्वारा/भारत सरकार की एसआरएमएस योजना के तहत पुनर्वास की स्थिति।
 3. हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की पालना हेतु मैनुअल स्कवैजिंग पर रोकथाम हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति।
 4. सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की स्थिति।
 5. सैफटी टैंक/मेन हॉल/सीवरेज सफाई कार्यों हेतु आवश्यक उपकरण/संरक्षात्मक साधनों की उपलब्धता की स्थिति।
 6. सैफटी टैंक/मेन हॉल/सीवरेज सफाई कार्यों के दौरान मृत्यु प्रकरण व इन प्रकरणों में मुआवजा राशि दिया जाना तथा एक्ट के प्रावधानानुसार सुरक्षात्मक साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।
 7. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति अनुसार।
- समिति के सदस्यगणों से अनुरोध है कि निर्धारित दिनांक को बैठक में भाग लेने का श्रम करावे।


अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
2. सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राज0 जयपुर।
5. अध्यक्ष राज्य अनुसूचित आयोग राज0 जयपुर।
6. श्री राम चन्द्र माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र डग, झालावाड।
7. श्री कैलाश वर्मा माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र बगरू, जयपुर।
8. अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
9. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज0 जयपुर।
10. पुलिस महानिदेशक, राज0 जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
12. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
13. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
14. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान अनु0 जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 नेहरू सहकार भवन जयपुर।
15. मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक उत्तर पश्चिम रेलवे, राजस्थान, जयपुर।
16. श्री पुखराज तैजी पुत्र श्री केशा राम तैजी एडवोकेट मोमासर बास, वाल्मिकी बस्ती, वार्ड न0 4 श्री डुंगरगढ जिला बीकानेर।
17. श्री चन्द्र प्रकाश चौहान (टाईसन) पुत्र श्री रामचन्द्र चौहान, बी-6 पांच बत्ती नेहरू कॉलोनी, जोधपुर।
18. श्रीमती चन्दा नकवाल पत्नी श्री भारत नकवाल 258 श्यामपुरी हीदा की मोरी, गाँधी सर्किल के पास रामगंज बाजार जयपुर।
19. नीलम डाबोडिया पुत्री श्री ओमप्रकाश डाबोडिया पटेल नगर, महेश नगर, जयपुर।
20. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, अंचल कार्यालय बडोदा भवन, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा जयपुर।
21. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राज0 जयपुर को सूचनार्थ।
22. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
23. केयर टेकर, मंत्रालय भवन, शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि दिनांक 30. 6.2016 को बैठक हेतु मंत्रालय में मिटिंग हॉल आरक्षित करने व आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावे।
24. केयर टेकर/ स्टोर कीपर, मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि जलपान एवं आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने का श्रम करावे।
25. एसीपी मुख्यावास, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड कराते हुए सम्बन्धित को ई-मेल करावे।

अति. निदेशक (प्रतिकृता एवं प्रशासन)